मालेगांव बम काण्ड दोषी कौन?

स्वामी अग्निवेश

नई दिल्ली, मालेगांव बम ब्लास्ट के 9 बेगुनाह युवकों की विशेष मकोका अदालत द्वारा रिहाई के आदेश का मैं स्वागत करता हूँ। ये सभी नौजवान मुस्लिम हैं जिन्हे एटीएस ने बम ब्लास्ट के बाद प्रमुख आरोपियों के रूप में गिरफ्तार किया था। एटीएस की चार्जसीट में सभी आरोपी आतंकवादी संगठन लश्कर–ए–तैयबा से जुड़े थे और भारत में सिमी नामक आतंकवादी संगठन के सदस्य के तौर पर कार्यरत थे। सीबीआई ने भी एटीएस के इन आरोपों पर अपनी मुहर लगा दी थी। मुम्बई की विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश वी वी पाटिल ने राष्ट्रीय जांच एजेन्सी के निर्णय का समर्थन किया और सबूतों के न होने को आधार बनाकर रिहाई का आदेश दिया। अब इन मुस्लिम नौजवानों की बेगुनाही साबित होने के बाद क्या? मेरी मांग है कि उन दोषी पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाए एवं कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे भविष्य में सबक लिया जा सके। साथ ही उन युवकों को जिन्होंने अपने जीवन निर्माण के महत्वपूर्ण वर्ष जेल में बिताए उन्हें एक करोड़ रूपया प्रतिवर्ष के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इससे पिछले 10 सालों में उनके सम्मान, स्वाभिमान एवं पहचान को जो ठेस पहुंची है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती किन्तु वे सभी इस रकम से सुन्दर भविष्य का निर्माण अवश्य कर सकेंगे।

सितम्बर, 2006 दिन शुक्रवार, जुमे की नमाज बाद मालेगांव के मस्जिद में हुए बम धमाकों में 37 लोगों की मृत्यु और लगभग 125 लोग घायल हुए थे। मालेगांव बम धमाके के तुरन्त बाद महाराष्ट्र एटीएस ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था। इन सभी 9 युवकों को लश्करे तैयेबा से सम्पर्क रखने की बात कही थी। इन युवकों को आतंकवादी संगठन सिमी का सदस्य भी बताया था और मीडिया में बकायदा उसके सबूत भी पेश किये गये थे। चूंकि उस समय पूरा विश्व आतंकवाद विरोधी अभियान के साथ था तो कोई भी इन युवकों के साथ खड़ा होने का साहस नहीं दिखा सका। शक के बिना पर गिरफ्तार सभी युवक रातों रात खलनायक एवं देशद्रोही बना दिये गये। इनके साथ–साथ लोगों ने इनके परिवार वालों से भी दूरी बना ली। सभी तरह से ये अलगाव के शिकार बन गये यहां तक कि मुस्लिम समाज भी कुछ बोलने से बचता रहा। महीनों मीडिया ट्रायल तथा एटीएस अधिकारियों की जालसाजी के कारण पूरा देश इन्हें आतंकवादी मान चुका था। बाद में इस मामले में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया जो हमारे देश की सबसे सशक्त जांच एजेन्सी मानी जाती है। हालांकि सी०बी०आई० की कार्यशैली हमेशा ही विवादों में रही है। उसने भी अपनी जांच पड़ताल के बाद एटीएस की थ्योरी पर ही मुहर लगा दी। राज्य व केन्द्रीय जांच एजेन्सी के प्रमाणीकरण के बाद इन युवकों के बचने की उम्मीद लगभग समाप्त हो गयी थी।

मालेगांव बम काण्ड में मोड़ उस समय आया जब इसकी जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया। एनआईए ने कुछ हिंदू आतंकवादियों की गिरफ्तारी की जिसमें स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, धनसिंह, राजेन्द्र चौधरी तथा मनोहर सिंह शामिल है। इन गिरफ्तारियों से एनआइए ने सीबीआई की जांच पर ही सवालिया निशान लगा दिया। बाद में स्वामी असीमानन्द के बयान को आधार बनाकर आगे की कार्यवाही का केन्द्र बिन्दु हिंदू आतंकवादियों को बनाया गया तथा पूर्व में गिरफ्तार सभी 9 मुस्लिम युवकों के खिलाफ

पर्याप्त सबूत न होने की बात कोर्ट में बताई। अब सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र एटीएस ने क्यों समुदाय विशेष के बेगुनाहों को आरोपी बनाया? क्या अधिकारी किसी दबाब में थे या उनका स्वयं का व्यक्तिगत स्वार्थ शामिल था। आखिर किस आधार पर इन्होंने सभी युवकों को लश्करे तैयेबा एवं सिमी का सदस्य बताया था। समाचार पत्रों में सिमी से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त होने की बात कूबूली गयी थी। लश्करे तैयेबा से जोड़ने वाले तार कैसे व किस आधार पर जोड़े गये थे? बाद में सीबीआई ने किस तरह जांच आगे बढ़ाई कि उसे कुछ भी असंगत नहीं मिला। आज जब एनआईए उन बेकसूरों की बेगुनाही का समर्थन कर रही है तो सिमी के पहचान पत्र कहां से मिले और किसने बनाए इसका जवाब कौन देगा? हिंदुस्तान की जनता को इन तथ्यों को जानने का अधिकार क्या नहीं होना चाहिए और वो भी तब जब इन घटनाओं के नाम पर पूरे समुदाय पर पहचान व अस्तित्व का संकट हो।

आतंकवाद के आरोप से बेगुनाह मुस्लिम युवकों के मुक्त होने का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी गुजरात में 2002 के दंगो के बाद बड़े पैमाने पर आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारियां की गयी थी। कई मामलों में तो 17–17 अभियुक्त दोष मुक्त हुए है। इनमें अधिकतर लोग सिमी के सदस्य बताए गये थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हत्या व दंगे का बदला लेने वाले थे। इसी को आधार बनाकर बालीवुड में ''शाहिद'' नाम से फिल्म भी बनाई गयी है। अब समय है ऐसे पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने की जिन्होंने मनमाने तरीके से बेगुनाहों का जीवन बर्बाद किया है। शीर्ष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए कि कैसे एक भी अधिकारी जो विक्षिप्त मानसिकता का है उसका चयन हो जाता है। ऐसे लोग देश की साख को बट्टा लगाते है। संविधान का उल्लंघन करते हैं। यदि देश की सबसे बड़ी सेवा में ऐसे लोग आ रहे हैं तो चयन प्रक्रिया पर विचार करने की जरूरत है। उन सभी मीडिया समूहों को स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए जिन्होंने इन बेगुनाहों को आतंकवादी बताकर महीने भर परोसा और अपनी टीआरपी बढ़ाई। मीडिया वालों को इनकी बेगुनाही को भी उसी तरह प्रचारित –प्रसारित करना चाहिए ताकि इनको सम्मान के साथ समाज स्वीकार सके। कुछ मीडिया समूह आज भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं जिससे देश व समाज की छवि खराब होती है। जेएनयू प्रकरण इसका नवीनतम उदाहरण है। पिछले 10 सालों से इन बेकसूरों एवं उनके परिवार द्वारा सहे गये मानसिक व सामाजिक प्रताड़ना की छतिपूर्ति तो सरकार नहीं कर सकती वरन् इनके भविष्य बनाने में योगदान अवश्य दे सकती है। मैं मकोका अदालत से अपील करूंगा की इन्हें एक करोड़ रूपया प्रतिवर्ष के हिसाब से मुआवजा देने का आदेश सरकार को दे जैसा कि अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं यूरोप में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जांच एजेन्सी एवं न्यायमूर्ति वीवी पाटिल ने न्याय हेतु जो साहस का परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है। साथ ही हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों को भरने हेतु तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे आतंकवाद, बलात्कार एवं साम्प्रदायिक मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। इससे गुनाहगार को आवश्यक सजा दिलाने में तथा बेगुनाह के जीवन को बर्बाद होने से बचाने में मदद मिलेगी। जब तक प्रत्येक नागरिक को गरिमायुक्त जीवन एवं न्याय पाने की गारन्टी का अधिकार नहीं मिलता हमारी आज़ादी अधूरी है। शोषणमुक्त, अन्यायमुक्त समाज व देश निर्माण का सपना अधूरा है।